

# भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर : केट

इन्दौर-452013 (म.प्र.)

# केवल अनुसूचित जनजाति (अजजा) अभ्यर्थियों के लिए विशेष भर्ती अभियान

विज्ञापन संख्या : आरआरकेट-2/2015

# आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2015

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर (म.प्र.) में प्रशिक्षण हेतु वृत्तिभोगी प्रशिक्षार्थियों (श्रेणी।।) के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

पदों की कुल संख्या : 21 (एक पद $^*$  ओएच तथा एक पद $^{**}$  एचएच के लिए आरक्षित शामिल है)

पद सं.	ट्रेड	पदों की	शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता		
		संख्या			
11-1	इलेक्ट्रॉनिक्स	06	एसएससी अथवा एचएससी में विज्ञान और गणित विषय में		
11-2	फिटर	05	न्यूनतम 60% अंक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स /फिटर / मशीनिस्ट /		
11-3	मशीनिस्ट	02	वेल्डर / ड्राफ्टसमेन (मेकेनिकल / सिविल) में आईटीआई /		
11-4	वेल्डर	01	एनसीवीटी प्रमाणपत्र ।		
॥-5ए	ड्राफ्टसमेन (मेकेनिकल)	02	आईटीआई/एनसीवीटी योग्यता निम्नलिखित दो में से होनी		
।।-5 बी	ड्राफ्टसमेन (सिविल)	02	चाहिए -		
			ए) आईटीआई/एनसीवीटी दोनों मिलाकर दो वर्षों से कम नहीं अथवा		
			बी) एक वर्ष की अवधि का आईटीआई और पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद एक वर्ष का संबद्ध ट्रेड का अनुभव ।		
11-6	लेबोरेटरी	03	एसएससी अथवा एचएससी में विज्ञान और गणित विषय में न्यूनतम 60% अंक तथा लेबोरेटरी में आईटीआई प्रमाणपत्र। आईटीआई/एनसीवीटी योग्यता निम्नलिखित दो में से एक होनी चाहिए - ए) आईटीआई/एनसीवीटी दोनों मिलाकर दो वर्षों से कम नहीं अथवा बी) एक वर्ष की अविध का आईटीआई और पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद एक वर्ष का संबद्ध ट्रेड का अनुभव। अथवा एचएससी (10+2) में विज्ञान एवं गणित विषयों में कुल न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों पर भी विचार		

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> केवल पद श्रेणी ।।-1 के लिए एक पद अस्थि विकलांग (ओएच) के लिए आरक्षित । अस्थि विकलांग से तात्पर्य न्यूनतम 40% शारीरिक दोष या विकृति से है, जो हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के सामान्य कामकाज में अवरोध का कारण बनता है ।

\*\* केवल पद श्रेणी ।।-1 अथवा ।।-5ए अथवा ।।-6 के लिए एक पद सुनने में अशक्त (एचएच) के लिए आरक्षित । सुनने में अशक्त से तात्पर्य सामान्य कान में बातचीत सुनने की शक्ति की आवृत्ति का 60 डेसीबल अथवा दोनों कानों में सुनने की शक्ति का पूरी तरह से ह्रास होना ।

नोट : आईटीआई प्रमाणपत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए।

महत्वपूर्ण: श्रेणी-॥ की भर्ती के नियम में न्यूनतम योग्यता तथा अंकों का प्रतिशत पात्रता मापदंड में शामिल है। तथापि यदि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार निम्न योग्यता वाले निर्धारित पद का चयन कर लेते हैं, तो सिद्धांत: उन्हें उनके भर्ती के अवसर से मना नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार, जो भर्ती के बाद पहले से ही 60% अंकों के साथ उच्च योग्यता रखते हैं अथवा जिनकी उच्च योग्यता प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है, के सेवा में रहते समय निम्नलिखित निर्धारित अविध के लिये अतिरिक्त योग्यता आधारित पदोन्नति के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जायेगा:

क. बी.एस.सी./इंजीनियरिंग मे डिप्लोमा - 6 वर्ष

ख. बी.टेक./ए.एम.आई.ई/एम.एस.सी. - 8 वर्ष

**ग.** एम.टेक./पी.एच.डी. - 10 वर्ष

#### आयु सीमा :

दिनांक 10 अगस्त 2015 को 18 वर्ष (न्यूनतम) और 27 वर्ष (अधिकतम)

### उपर्युक्त के अलावा आयु में निम्नलिखित छुट भी लागू है:

- क) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । इस आशय का सबूत प्रस्तुत करना होगा कि 1984 के दंगों में वे प्रभावित हुए थे ।
- ख) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए (केवल पद कोड ।।-1, ।।-5ए अथवा ।।-6) दिनांक 10 अगस्त 2015 को 18 वर्ष (न्यूनतम) और 37 वर्ष (अधिकतम)
- ग) उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, परन्तु किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधित नियमों के अंतर्गत उचित अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी।

नोट : जम्मू एवं कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए केवल विद्यालय छोडने के प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में लिखित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी । बाद में जन्मतिथि में परिवर्तन की कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी ।

#### निवास संबंधी प्रमाण-पत्र :

कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय सिविल सेवा एवं सिविल पद (सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा) नियमावली, 1998 के तहत लागू आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

i) जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे मूलरूप से या सामान्यत: रहते थे।

#### अथवा

ii) कोई अन्य प्राधिकारी जो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो उनको इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान मूलरूप से अधिवासी थे। 2 (क) प्रशिक्षण की कुल अवधि: दो वर्ष

(ख) प्रशिक्षण के दौरान वजीफा : पहले वर्ष के लिए ₹ 6,200/- प्रतिमाह दूसरे वर्ष के लिए ₹ 7.200/- प्रतिमाह

उपरोक्त के अलावा, श्रेणी-।। के प्रशिक्षणार्थी उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित अनुमोदित पुस्तकें खरीदने के लिए एक बार पुस्तक भत्ते के रूपए 1500/- पाने के हकदार होंगे।

- (ग) <u>आवास</u>: आरआरकेट द्वारा आरआरकेट कालोनी में आवास उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित लाइसेंस फीस, विद्युत प्रभार/जल प्रभार के भुगतान पर शेयरिंग आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- 3. आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापन में लिखी सभी पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। उम्मीदवार को अपने आवेदन -पत्र में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में रखा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण से पूर्व आवेदन पत्रों की केवल सरसरी तौर पर जाँच की जाएगी तथा भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण के समय उम्मीदवारों की पात्रता की विस्तृत जाँच की जाएगी। अत: आवेदन की विस्तृत जाँच होने तथा आवेदक को सभी प्रकार से पात्र पाए जाने तक आवेदक की उम्मीदवारी अस्थायी रहेगी। यदि उम्मीदवार उक्त पद के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो आरआरकेट को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार होगा। उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में आरआरकेट का निर्णय अंतिम होगा। केवल उम्मीदवार को बुलावा पत्र जारी करने तथा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुमित देने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई है या आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित जानकारियों को सत्य और सही मानकर स्वीकार कर लिया गया है।

#### 4. लिखित परीक्षा :

एक घंटे की अवधि की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए इन्दौर में कम से कम दो दिनों तक ठहरने की तैयारी से आना होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को इन दो दिनों के लिए कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम श्रेणी-। के लिये डिप्लोमा/बी.एससी. स्तर तथा श्रेणी-।। के लिए एसएससी/एचएससी/ आईटीआई स्तर के विषयों पर पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सीमित कर उसी दिन अथवा अगले दिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

अभ्यर्थी का अंतिम चयन एवं श्रेणीकरण उनके साक्षात्कार में किए गए कार्य निष्पादन पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। केन्द्र का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

### 5. प्रशिक्षण विषय क्षेत्र:

चयनित अभ्यर्थियों को इस केन्द्र की युक्ति-युक्त आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक ट्रेड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार केन्द्र में संबंधित ट्रेडों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षण स्थान/अंतिम नियोजन के लिए चयन/विकल्प नहीं होगा।

प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को रात-दिन की पारी में शिफ्ट ड्यूटी, रात्रिकालीन पारी सहित विभिन्न पारियों में कार्य करना पड सकता है।

# 6. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात ग्रेड:

प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात, श्रेणी- ।। के वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कार्यों के आधार पर निम्नलिखित ग्रेडों में से किसी एक ग्रेड पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर, नियुक्ति के समय उन्हें अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जा सकती है।

वर्तमान दरों पर वेतनमान एवं कुल परिलब्धियां निम्नानुसार रहेंगी :-

पद	पे बैंड	ग्रेड पे	पे बैंड में प्रारंभिक वेतन	कुल परिलब्धियां (अनुमानित)
तकनीशियन/सी	₹ 5,200-20,200 पे बेंड - 1	₹ 2,400/-	₹7,510/-	₹23,900/-*
तकनीशियन/बी	₹ 5,200-20,200 पे बेंड - 1	₹ 2,000/-	₹ 6,460/-	₹ 20,500/-*

<sup>\*</sup>श्रेणी "वाई" सिटी के लिये कुल परिलब्धियां लागू हैं (भत्ते केन्द्र सरकार के नियमानुसार यथादेय हैं )

#### 7. <u>निष्पादन बंधपत्र</u> :

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने और यदि प्रशिक्षण के पश्चात नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति के पश्चात की 3 वर्ष की अवधि तक आरआरकेट, इन्दौर अथवा परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने का बंधपत्र भरना होगा। प्रशिक्षणार्थी जिन्हें नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया है, प्रशिक्षण पूरा करने में अथवा 3 वर्षों की सरकारी सेवा करने में असफल रहते हैं तो सरकारी नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्राप्त हुई वजीफे की संपूर्ण समकक्ष राशि ब्याज सहित सरकार को लौटानी होगी।

# 8. <u>आवेदन कैसे करें</u>:

(i) आवेदन-पत्र यहां दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

अभ्यर्थी, जो ऑन-लाइन आवेदन करना चाहते हैं, कृपया वेबसाइट http://www.rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current\_Openings.html देखें। ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व बंद हो जाएगी।

अभ्यर्थी जो (ऑन-लाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके) ऑन लाइन आवेदन कर रहे हैं, को आवेदन की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि दर्शाए गए पते पर संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ भेजना होगी। आवेदन की मूल प्रतिलिपि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए।

- (ii) आवेदन-पत्र ए-4 आकार के पेपर में टंकित होगा तो अच्छा रहेगा।
- (iii) आवेदन-पत्र और लिफाफे पर ''विज्ञापन सं. आरआरकेट-2/2015 तथा श्रेणी----- के पद कोड ------ के लिए आवेदन-पत्र" लिखा होना चाहिए।
- (iv) एक पद के लिए केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- (v) अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेजे।

#### 9. प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां

अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित एक प्रति संलग्न करनी चाहिए :-

- क) शैक्षणिक योग्यताएं / अनुभव और तकनीकी / व्यावसायिक योग्यताओं (उपयुक्त अंकसूचियां जिनमें परीक्षा में लिए गए विषय दर्शाए गए हो) से संबंधित प्रमाणपत्र
- ख) जन्म-तिथि प्रमाणपत्र (कक्षा 10 वीं अथवा 12 वीं की अंकसूची अथवा प्रमाणपत्र)
- ग) अजा/अजजा/अपिव जाति के उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार में नौकरी हेतु लागू निर्धारित प्रपत्र में अपनी जाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो हमारी वेबसाइट पर इस विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।
- घ) शारीरिक रूप से अशक्तता के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी का अशक्तता प्रमाणपत्र (अशक्त व्यक्तियों के लिए लागू) निर्धारित प्रपत्र में हो,जो हमारी वेबसाइट पर इस विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।

## 10. सुनने में अशक्त व्यक्तियों (एचएच) के प्रमाणपत्र के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं

- i) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अशक्तता प्रमाणपत्र विधिवत रूप से जारी किया जाना चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करें जिनमें कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।
- ii) जिन अभ्यर्थियों में अशक्तता अस्थाई तौर पर है, उनके लिए प्रमाण-पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जहाँ कहीं अशक्तता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना रहेगी वहाँ प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि मेडिकल बोर्ड दर्शाएगा। वे जिन्हें स्थाई अशक्तता है तो वैधता को स्थाई दर्शाया जा सकता है। अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर, मेडिकल बोर्ड सभी तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो मामले के लिए उचित होंगे।

#### नोट:

- क. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा । हांलांकि पहले से ही केन्द्र/राज्य सरकार सेवा, केन्द्र/राज्य सरकार निगम,सार्वजनिक उपक्रम,स्थानीय सरकारी संस्थान और पंचायतों में कार्यरत अभ्यर्थियों एवं रेलवे से उक्त प्रयोजनार्थ यात्रा हेतु छूट लेने वाले अथ्यर्थियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- ख. इस विज्ञापन के तहत चयनित किए गए अभ्यर्थियों को आरआरकेट,इंदौर में प्रशिक्षित किया जाएगा। सफल प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें आरआरकेट,इंदौर में तैनात किए जाने की संभावना है, किन्तु उन्हें भारत के किसी भी स्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करना होगा।

- ग. उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियाँ अस्थाई हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है। विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद भी सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से भरे जाएंगे और यदि निर्णय लिया गया तो, पद न भी भरे जा सकते हैं, अन्यथा समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों की शर्ते लागू रहेंगी।
- घ. प्रचालन संयंत्रों एवं क्षेत्रों में उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली रात-दिन की पारी में शिफ्ट ड्यूटी (रात की पारी सहित) में कार्य करना शामिल होगा।
- ड़. उपरोक्त पदों के तहत नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं एफ.सं.5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर के तहत यथा अधिसूचित नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- च. केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए । हालांकि, वे अपने आवेदन की अग्रिम प्रति ऊपर वर्णित संलग्नकों के साथ नीचे दिए चपते पर भेज सकते हैं।
- छ. अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपना आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए :-

सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती) राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र परमाणु ऊर्जा विभाग डाकघर-केट, इंदौर - 452013 (म.प्र)

- ज. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2015 है।
- 11. <u>महत्वपूर्ण सूचना</u> :

ऐसे आवेदन.पत्र, जो विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं - अर्थात आवेदन पत्र, जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं, जिसके साथ पासपोर्ट आकार का स्वसत्यापित फोटो तथा प्रमाण-पत्रों की सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न नहीं हैं, अस्वीकार किए जाने की संभावना है। विज्ञापन में दर्शाई गई जरूरतों को सिर्फ पूर्ण करने से ही प्रत्याशी लिखित/साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं हैं। जहां इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या अधिक है तो इस केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिक अंकों तथा दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर स्क्रीनिंग को सीमित कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन में नियत अनुभव की अवधि का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम दिनांक से किया जाएगा।

'सरकार एक ऐसे कार्यदल बनाने का प्रयास कर रहीं हैं जो लिंग-समानता को प्रतिबिंबित करें और महिलाओं को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करें ।'

<u>चयन न किए गए उम्मीदवारों के रिकार्ड चयनित सूची तैयार करने की तिथि से 6 माह बाद</u> नहीं रखे जाएंगे।

चेतावनी : किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा